"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 186] रायपुर, शनिवार, दिनांक 6 अगस्त 2005—श्रावण 15, शक 1927

वित्त तथा योजना विभाग
वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 अगस्त 2005

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/20/2005/वा.क.(पं.)/पांच (38).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का संख्यांक-2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/20/2005/वा.कर (पं.)/पांच (34), दिनांक 21-6-2005 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ-10/20/2005/वा. कर (पं.)/पांच (35), दिनांक 21-6-2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उपरोक्त अधिसूचनाओं में शब्द "उद्योग आयुक्त" के स्थान पर "उद्योग आयुक्त/संचालक, उद्योग" पढ़ा जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 6 अगस्त 2005

क्रमांक एफ-10/20/2005/वा.क.(पं.)/पांच (38).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/20/2005/वा.क.(पं.)/पांच (38), दिनांक 6-8-2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 6th August 2005

NOTIFICATION

No. F-10/20/2005/C.T.(R)/V (38).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899) the State Government hereby makes the following further amendments in this department's Notifications No. F-10/20/2005/C.T.(R)/V (34), Dt. 21-6-2005 and F-10/20/2005/C.T.(R)/V (35), dated 21-6-2005, namely :—

AMENDMENT

In the said notifications the word "Commissioner of industries" should be read as "Commissioner of Industries/ Director, Industries".

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.